पत्रांक 14/व.1–41/2023/ 912 /

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)
primary896@gmail.com

प्रेषक,

के. रवि कुमार, भा.प्र.से.,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी उपायुक्त,
झारखंड।

सभी जिला शिक्षा अधीक्षक
झारखंड।

राँची, दिनांक 10-07-2023

विषय : **राजकीयकृत प्रारम्भिक विद्यालयों के शिक्षकों की वरीयता सूची के निर्माण में शिक्षकों की आपसी वरीयता (Inter se seniority) के निर्धारण के बिंदु पर मार्गदर्शन का प्रेषण।**

प्रसंग : **निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, झारखण्ड, रांची का आदेश सं. 100 दिनांक 08.02.2023 द्वारा गठित एवं आदेश सं. 130 (विधि) दिनांक 23.02.2023 द्वारा निर्दिष्ट बिंदुओं के संबंध में जांच समिति का प्रतिवेदन ज्ञापांक 1203 दिनांक 21.04.2023।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालीय आदेश संख्या 100 दिनांक 08.02.2023 द्वारा गठित त्रि–सदस्यीय समिति द्वारा शिक्षकों के प्रोन्नति संबंधी मामलों के निष्पादन हेतु शिक्षकों की वरीयता सूची निर्माण में उनकी नियुक्ति तिथि, उनके द्वारा विद्यालय में योगदान की तिथि एवं लोक सेवा आयोग के अनुशंसा पर नियुक्त शिक्षकों के मेधा क्रमांक को आधार बनाये जाने पर स्थापित प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में स्पष्टता हेतु प्रतिवेदन समर्पित किया गया है।

2. समर्पित प्रतिवेदन के तहत विभागीय नियमावली, विभाग द्वारा निर्गत विभिन्न संकल्प/आदेश/मार्गदर्शन एवं माननीय उच्च/उच्चतम् न्यायालय के आदेश निम्नांकित हैं –

(i) **बिहार (झारखण्ड) राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक प्रोन्नति नियमावली, 1993** में कहीं भी यह अंकित नहीं है कि नियुक्ति (प्रथम योगदान) की तिथि, वरीयता का आधार होगी अथवा उनकी मेधा सूची के अनुरूप नियुक्ति के समय निर्धारित मेधाक्रम उसका आधार होगी।

नियम–8 के प्रावधान के अनुसार एक ही ग्रेड के शिक्षकों की पारस्परिक वरीयता का आधार, उक्त ग्रेड प्राप्त करने की तिथि होगी एवं नियम–13 के प्रावधान

Khurshid

के अनुसार अप्रशिक्षित शिक्षक, जिस तिथि को प्रशिक्षित हो जायेंगे, उस तिथि से उन्हें ग्रेड–1 दिया जा सकेगा।

(ii) वित्त विभाग के पत्रांक 3805/वि.(2) दिनांक 25.06.1999 तथा पत्रांक 4568/वि. दिनांक 05.07.2002 के अनुसार प्रारम्भिक शिक्षकों की आपसी वरीयता वही रहेगी, जो उनकी मेधा सूची के अनुरूप नियुक्ति के समय निर्धारित थी, जो बिहार सरकार, कार्मिक विभाग के परिपत्र सं. 15784 का. दिनांक 26.08.1972 में अंकित प्रावधान के अनुरूप है।

(iii) माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, रांची द्वारा डब्ल्यू.पी.(एस.) सं. 638/ 2005, अरुण सिन्हा एवं अन्य बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य, डब्ल्यू.पी. (एस.) सं. 5465/2007, अवध बिहारी मिश्रा एवं अन्य बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य, विभागीय संकल्प सं. 3027 दिनांक 14.12.2015 (विभागीय संकल्प सं. 1145 दिनांक 18.07.2019 सहित) तथा एल. पी.ए. सं. 388/ 2013 एवं अन्य सदृश वाद में पारित आदेश द्वारा नियुक्ति/प्रथम योगदान की तिथि को आपसी वरीयता निर्धारण का आधार अंकित किये जाने का आदेश/संकल्प निर्गत है, चाहे वे नियुक्ति के समय प्रशिक्षित अथवा अप्रशिक्षित योग्यताधारी रहे हों।

(iv) माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, रांची द्वारा डब्ल्यू.पी.(एस.) सं. 1474/2017, अनिता कुमारी एवं अन्य बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य वाद में दिनांक 04.07.2018 को पारित आदेश में झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 14.11.2003 को नियुक्ति हेतु निर्गत मेधा सूची क्रम में नियुक्त शिक्षकों की वरीयता निर्धारित किये जाने का आदेश पारित किया गया है, जिसके आलोक में राज्यस्तरीय बैठक की कार्यवाही प्रति ज्ञापांक 1632 दिनांक 15.10.2019 एवं निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, झारखण्ड, रांची के पत्रांक 292 (विधि) दिनांक 22.10.2020 द्वारा भी समान निदेश/मार्गदर्शन उपलब्ध कराया गया है।

(v) आपसी वरीयता (Inter se seniority) निर्धारण के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के विभिन्न न्यायादेशों, यथा– ***Ramchandra Shanker Deodhar & Ors. v. State of Maharashtra & Ors. AIR 1974 SC 259, Tilokchand Motichand v. H.B. Munshi, AIR 1970 SC 898, R.N. Bose v. Union of India & Ors. AIR 1970 SC 470, R.S. Makashi v. I.M. Menon & Ors. AIR 1982 SC 101, State of Madhya Pradesh & Anr. v. Bhailal Bhai etc. etc., AIR 1964 SC 1006, K.R. Mudgal & Ors. v. R.P. Singh & Ors. AIR 1986 SC 2086, Malcom Lawrance Cecil D'Souza v. Union of India & Ors. AIR 1975 SC 1269, B.S. Bajwa v. State of Punjab & Ors. AIR 1999 SC 1510, Dayaram Asanand v. State of Maharashtra & Ors. AIR 1984 SC 850, P.S. Sadasivaswamy v. State of Tamil Nadu AIR 1975 SC 2271, Smt. Sudama Devi vs. Commissioner & Ors. (1983) 2 SCC 1; State of U.P. vs. Raj Bahadur Singh & Anr. (1998) 8 SCC 685;*** *and* ***Northern Indian Glass Industries vs. Jaswant Singh & Ors. (2003) 1 SCC 335, Dinkar Anna Patil & Anr. vs. State of Maharashtra, AIR 1999 SC 152, K.A. Abdul Majeed vs. State of Kerala & Ors. (2001) 6 SCC 292*** आदि विभिन्न वाद में पारित आदेश के अनुसार –

Khurshid

(a) पूर्व में अंतिम वरीयता सूची के प्रकाशन उपरांत 04 वर्षो से अधिक अवधि समाप्त होने के पश्चात् उसे सामान्यतः चुनौती नहीं दी जा सकती तथा विशिष्ट स्थितियों में माननीय न्यायालय के समक्ष विलंब का उचित आधार प्रस्तुत किए जाने एवं माननीय न्यायालय द्वारा अनुमान्य पाए जाने की स्थिति में ही पूर्व की स्थापित वरीयता, मात्र निर्दिष्ट मामलों के संबंध में ही परिवर्त्तित की जा सकती है।

(b) आपसी वरीयता निर्धारित किए जाने हेतु भिन्न आदेश/आधार निर्गत किए जाने का प्रभाव भविष्यलक्षी (Prospective) होगा। पूर्व की निर्धारित वरीयता एवं उसके आधार पर दी गयी प्रोन्नति इससे अक्षुण्ण रहेगी।

3. बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा प्राथमिक शिक्षक परीक्षा संबंधी अंतिम परीक्षाफल के आधार पर प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु निर्गत अनुशंसा सूची, यथा – रांची जिले के संदर्भ में पत्रांक 189/लो.से.आ. दिनांक 16.08.1994 द्वारा निर्गत सूची अथवा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा वर्ष 1999 एवं 2000 की प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु निर्गत अनुशंसा सूची अथवा झारखण्ड लोक सेवा आयोग, रांची द्वारा वर्ष 2003 में नियुक्ति हेतु अनुशंसित सूची समेकित सूची नहीं है, अर्थात् अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की अलग–अलग सूची प्राप्त है। इस स्थिति में मेधांक उपलब्ध होने के उपरांत ही, उनकी मेधा सूची के अनुरूप नियुक्ति के समय निर्धारित मेधाक्रम में वरीयता सूची तैयार किया जाना संभव हो सकेगा।

4. उक्त त्रि–सदस्यीय समिति द्वारा विस्तारपूर्वक संबंधित प्रावधान, माननीय उच्च एवं उच्चतम् न्यायालय के आपसी वरीयता (Inter se seniority) निर्धारण विषयक विभिन्न न्यायादेशों का उल्लेख करते हुए निम्न अनुशंसा की गयी है:–

(i) **यद्यपि वरीयता का आधार उनकी मेधा सूची के अनुरूप नियुक्ति के समय निर्धारित मेधाक्रम ही होगा,**

(ii) **परन्तु जिन मामलों में वरीयता सूची का अनुमोदन वर्ष 2020 के 04 वर्ष पूर्व हो चुका है तथा उसके आधार पर प्रोन्नति भी दी जा चुकी है, उन मामलों को पुनः नए सिरे से वरीयता सूची के निर्माण में Re-open किया जाना अपेक्षित नहीं है, इसे अलग–अलग जिले हेतु सुविधाजनक रूप से वर्ष 2020 अथवा वर्ष 2021 अथवा वर्ष 2022 भी रखा जा सकता है एवं**

(iii) **जिन मामलों में मेधा सूची के अनुरूप नियुक्ति के समय निर्धारित मेधाक्रम एवं मेधांक उपलब्ध हैं तथा वरीयता सूची का निर्माण नहीं किया गया है अथवा निर्मित तथा अंतिम रूप से अनुमोदित वरीयता सूची की अवधि 04 वर्ष पूर्ण नहीं हुई है, मात्र उन्हीं मामलों में नियुक्ति के समय निर्धारित मेधाक्रम एवं मेधांक के आधार पर आपसी वरीयता के निर्धारण तथा वरीयता सूची तैयार करने अथवा पुनः नए सिरे से तैयार किए जाने की कार्रवाई अपेक्षित है।**

स्पष्टतः पूर्व के मामले, जिनमें नियुक्ति के समय निर्धारित मेधाक्रम एवं मेधांक के आधार पर समेकित अनुशंसा सूची निर्गत नहीं है अथवा वरीयता सूची का निर्माण एवं

Khurshid

अनुमोदन की अवधि 04 वर्ष से अधिक हो चुकी है तथा नियुक्ति/प्रथम योगदान की तिथि के आधार पर वरीयता सूची तैयार एवं अनुमोदित की गयी है, उन मामलों में नए सिरे से वरीयता सूची तैयार किया जाना अपेक्षित नहीं है, उन विशिष्ट मामलों को छोड़कर, जिनमें माननीय उच्च न्यायालय का इस संबंध में स्पष्ट आदेश पारित है।

वरीयता सूची के अंतिम रूप से प्रकाशन की तिथि के उपरांत 04 वर्षों से अधिक विलंब उपरांत अपनी वरीयता के संबंध में दावे/आपत्ति अथवा वरीयता सूची को माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दिए जाने की स्थिति में विभाग की ओर से माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न न्यायादेश, जिनका उल्लेख पूर्व में कंडिका–2(v) में किया गया है, जिसके अनुसार अंतिम वरीयता निर्धारण एवं वरीयता सूची के प्रकाशन के 04 वर्षों से अधिक पूर्ण होने के उपरांत उसे सामान्यतः चुनौती नहीं दी जा सकती है, का उल्लेख करते हुए विभाग की ओर से ससमय पक्ष रखा जाना अपेक्षित है।

5. उपर्युक्त अनुशंसा के संबंध में विधि (न्याय) विभाग के माध्यम से विद्वान महाधिवक्ता का परामर्श प्राप्त किया गया है, जो निम्नांकित है :–

*"..... The three member committee in the report/recommendation dated 21.04.2023 has considered several judgments of the Hon'ble Supreme Court for determining **inter-se** seniority of the primary teachers and the same has been incorporated in 2(V) of the proposed Draft Lerrer. Apart from the orders/ judgments passed by the Hon'ble Supreme Corut as referred by the three-member committee, following Judgments of the Supreme Court are also necessary to be referred for the purpose of deciding **inter-se** seniority which has already been settled earlier and several years have passed.*

*In case of **K.R. Mudgal & Ors vs R.P.Singh & Ors,** reported in **(1986) 4 SCC 531**, the Hon'ble Supreme Court laid down clearly that a seniority list remaining in existence for 3-4 years unchallenged, should not be disturbed.*

*In case of **B.S.Bajwa vs State of Punjab**, reported in **(1998) 2 SCC 523**, the Hon'ble Supreme Court has concluded that any interference in the seniority list, after such a long period would affect the prospects of several employees in service.*

*In case of **Melcom Lawrence Cecil D'Souza**, reported in **(1976) 1 SCC 599**, the Hon'ble Supreme Court has held that seniority list having been settled for once, should not be liable to be reopened after lapse of many years.*

*In case of **Shiba Shankar Mahapatra vs State of Orissa**, reported in **(2010) 12 SCC 471**, the Hon'ble Supreme Court has held that, once seniority has been fixed and remains in existence for a reasonable period, any challenge to the same shold not be entertained. In the said judgment, K.R.Mudgal case has been referred.*

In view of the aforementioned settled legal proposition, I am of the considered opinion, that the recommendation made by the three-member committee incorporated in Para 4(ii)(iii) of the proposed Draft Letter, appears to be justified.

*The Hon'ble High Court in case of **Anita Kumari & Ors vs State of Jharkhand & Ors, in W.P.(S) No. 1474 of 2017**, directed the State Respondents to publish fresh seniority list on the basis of **inter se** seniority of the direct recruits prepared and determined on the basis of merit position as per list prepared by the Jharkhand Public Service Commission at the time of appointment. The said Order has been passed by the Hon'ble High Court relying on the judgments rendered by the Hon'ble Apex Court in case of **Chairman, Puri Gramya Bank v. Ananda***

Khurshid

Chandra Das *reported in* ***(1994) 6 SCC 301*** *and in case of Suresh Chandra Jha v. State of Bihar and Others reported in* ***(2007) 1 SCC 405****.*

Similar issue was fell for consideration before the Hon'ble Supreme Court in case of ***P.Srinivas vs M. Radhakrishna Murty & ors****, reported in* ***(2004) 2 SCC 459****, whereby the Hon'ble Supreme Court has held that* ***inter-se*** *ranking and consequent* ***inter-se*** *seniority cannot be disturbed and rights flowing from such ranking cannot be denied merely because there was some delay in joining.*

In view of the Order passed by the Hon'ble High Court of Jharkhand in W.P.(S) No. 1474 of 2017 as also the Judgment passed by the Hon'ble Supreme Court in aforementioned cases, I am of the considered opinion that the recommendation made by the three-member committee dated 21.04.2023 incorporated in Para 4 (i) of the proposed Draft Letter is justified.

I am also of the opinion that, the Administrative Department may frame a Rule with regard to determination of ***inter-se*** *seniority of the Primary Teachers after following the due process of law, as per the recommendation made by the three member committee.*

In order to avoid further complications in determining the ***inter-se*** *seniority of the primary teachers, it is advised to the department that they may obtain a consolidated merit list from the authority/commission."*

अतएव विधि विभाग के माध्यम से विद्वान महाधिवक्ता, झारखण्ड, रांची के विधि परामर्श के आलोक में नयी/संशोधित नियमावली के गठन की तिथि तक, प्रारम्भिक शिक्षकों की आपसी वरीयता के निर्धारण एवं वरीयता सूची का निर्माण उपर्युक्त कंडिका–4 में अंकित अनुशंसा के आलोक में यथाशीघ्र पूर्ण करते हुए नियमानुकूल प्रोन्नति की कार्रवाई सुनिश्चित कीं जाय।

विश्वासभाजन

6/7/23

(के. रवि कुमार)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक : 14/व.1–41/2023..912.. **रांची, दिनांक** 10-07-2023

प्रतिलिपि : सभी क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी/सभी क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, झारखंड को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

6/7/23

(के. रवि कुमार)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक : 14/व.1–41/2023..912.. **रांची, दिनांक** 10-07-2023

प्रतिलिपि : माननीय मुख्य (विभागीय) मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

6/7/23

(के. रवि कुमार)
सरकार के सचिव।

Khurshid